राजस्थान–सरकार

कार्यालय अपर आयुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

क्रमांकः–आपदा प्रबंधन/2019–20/spl-32 दिनांकः–31.03.2020

–: अनुमति :–

नोवेल कोराना वायरस संक्रमण (covid-19) को राज्य सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया है एवं सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 22.03.2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में राशन सामग्री एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की रिटेल विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं को सीधे ही सप्लाई करने हेतु ई–कॉमर्स कम्पनी **PIZZA HUT** मै० Devyani International limited , 673, c/2, 11th C-Road ,Sardarpura, Jodhpur को उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर राशन एवं जनरल प्रोविजन सामग्री के डोर टू डोर डिलेवरी के लिए लॉक डाउन अवधि तक उक्त कार्य हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह अनुमति केवल डोर टू डोर विक्रय के लिए है। अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ वेयर हाउस में माल की बिक्री के लिए अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
2. कम्पनी माल की सप्लाई निरन्तर जारी रखेगी।
3. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के दौरान डिलेवरी बॉय द्वारा सैनेटाईजर एवं मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाएगा।
4. माल की आपूर्ति के लिये प्रयुक्त वाहनों को भी संक्रमण से मुक्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा वाहन में सामान भरने से पूर्व तथा वापिस आने के बाद उसका सोडियम हाईपोक्लोराइड के 1प्रतिशत घोल से संक्रमण रहित किया जायेगा
5. सप्लाई में कार्यरत डिलेवरी बॉय प्रत्येक सप्लाई के बाद अपने हाथों पर हैण्ड सैनिटाईजर का प्रयोग आवश्यक रूप से करेगा।
6. माल का मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य पर ही लिया जायेगा किसी भी वस्तु का मुल्य निर्धारित विधि अनुरूप ही होना चाहिए।
7. किसी गली, चौराहे पर खड़े होकर लोगों को लाईन में/ भीड़ में खड़ा करके बिकी नही की जायेगी, माल की आपूर्ति केवल डोर टू डोर ही की जायेगी।
8. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

इस कार्य हेतु उक्त फर्म द्वारा Swiggy and Zomato से अनुबंधित कर्मचारियों एवं वाहनो के द्वारा कार्य निष्पादन करेगें। अतः लॉक डाउन अवधि में माल की सप्लाई हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

31.03.2020

अपर आयुक्त (प्रशासन)

राज्य कर, जोधपुर

दिनांकः–31.03.2020

क्रमांकः–आपदा प्रबंधन/2019–20/spl-33 to 41

प्रतिलिपिः–1. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर

2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/ पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय,जोधपुर।

3. अपर जिला कलक्टर ,प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर।

4. रक्षित पत्रावली।

31.03.2020

अपर आयुक्त (प्रशासन)

राज्य कर, जोधपुर